



भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
Security Printing and Minting Corporation of India Limited

मिनिरत्न श्रेणी-I, सीपीएसई
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)
Miniratna Category-I, CPSE
(Wholly owned by Government of India)

भा.प्र.मु.नि.नि.लि./सतर्कता/212/प्रणाली सुधार/12/5334

दिनांक 25.10.2012

परिपत्र

विषय:- समितियों की बैठक के हस्ताक्षर।

प्रायः देखा गया है कि विभिन्न समितियों जैसे निविदा मूल्यांकन समिति, महाप्रबंधकों की स्थायी समिति, जाँच समिति, चयन समिति आदि के सदस्य रिपोर्ट में केवल अंतिम पृष्ठ पर ही हस्ताक्षर करते हैं इससे रिपोर्ट के बाकी पृष्ठों में बाद में परिवर्तन/जोड़तोड़ करने की संभावना रहती है। इसलिए यह अत्यावश्यक है कि रिपोर्ट के सभी पृष्ठों पर समिति के सभी पदाधिकारियों द्वारा सुक्ष्म हस्ताक्षर किए जाए तथा अंतिम पृष्ठ पर दिनांक सहित हस्ताक्षर, अपना नाम एवं पदनाम लिखने का कष्ट करें।

2. इस परिपत्र का व्यापक प्रसार किया जाए तथा सभी संबंधितों को जानकारी दी जाए इसे इकाई की वेबसाइट पर भी डाला जाए तथा विभागीय सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए।
3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

भवदीय,

वी० कु० ३१/१०/१२
25/10/12
(वीरेन्द्र कुमार आनन्द)
वरिष्ठ सतर्कता अधिकारी

सभी महाप्रबंधक
(टकसाल/मुद्रणालय/कागज कारखाना)
भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

प्रतिलिपि :

1. अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के विशेष कर्तव्य अधिकारी।
2. निदेशक (तक)/निदेशक (मा. सं.)/ मुख्य सतर्कता अधिकारी (प्रभारी)
3. महाप्रबंधक (सू. प्रौ)/सभी उप महाप्रबंधक (निगम मुख्यालय)।
4. उप-प्रबंधक (रा.भा.)
5. सभी सतर्कता पदाधिकारी (निगम मुख्यालय तथा इकाईयां)
6. सूचना पटल।